

- (iii) pickles;
  - (iv) dehydrated fruits and vegetables;
  - (v) squashes, crushes, cordial, barley water, barrelled juice and ready-to-serve beverage, fruit nectar or any other beverages containing fruit juices or fruit pulp;
  - (vi) jams, jellies and marmalades; .
  - (vii) tomato products, ketchup and sauce;
  - (viii) preserved, candied and crystallised fruits and peels;
  - (ix) chutneys;
  - (x) canned and bottled fruits, juices and pulp;
  - (xi) canned and bottled vegetable;
  - (xii) frozen fruits and vegetables;
  - (xiii) aerated waters containing fruit juice and pulp;
  - (xiv) fruits cereal, flakes; and
  - (xv) Any such other items relating to fruits or vegetables.
4. This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/85/2015-Exp. Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2016

**का.आ. 3353(अ).**—निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा-17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा फल उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1978 के अधिक्रमण में ऐसे अतिक्रमण, से पूर्व की गई कार्रवाई और हटाई गई कार्रवाई को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

**1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** – (1) इन नियमों को फल उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

**2. परिभाषाएँ** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) से होगा।

(ख) “एजेन्सी” का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण एजेन्सी से होगा;

(ग) “परिषद” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद से होगा।

(घ) “प्रतिष्ठान” का तात्पर्य कोई भी परिसर अथवा इकाई जहाँ फल उत्पादों को तैयार, प्रसंस्कृत, परिरक्षण, पैकेज या संग्रहित किया जाता है;

(ड.) “फल उत्पाद” का तात्पर्य है:-

(i) कृत्रिम पेय पदार्थ, सिरप, और शर्बत;

(ii) सिरका, आसवित या कृत्रिम;

- (iii) अचार;
- (iv) निर्जलीकृत फल एवं सब्जियां ;
- (v) स्व्वाश, क्रशेस, पुष्टिकारक, जौ का पानी, बैरल में रखा गया रस एवं परोसने हेतु तैयार पेय पदार्थ, फल का शरबत अथवा फल रस या फल गूदा वाला कोई अन्य पेय पदार्थ;
- (vi) जैम, जेली एवं मारमलेड;
- (vii) टमाटर के उत्पाद, केचअप एवं सॉस
- (viii) परिरक्षित जमाया हुआ तथा क्रिस्टलीकृत फल एवं छिलके;
- (ix) चटनी;
- (x) डिब्बाबंद एवं बोतलबंद फल, जूस एवं गूदा;
- (xi) डिब्बाबंद एवं बोतलबंद सब्जियां ;
- (xii) प्रशीतित फल एवं सब्जियां ;
- (xiii) फल जूस एवं गूदा वाले सोडा वाटर;
- (xiv) फल अनाज, गुच्चे; तथा
- (xv) फल अथवा सब्जियों से संबंधित ऐसी कोई अन्य अविनिर्दिष्ट वस्तु ।

3. निरीक्षण का आधार – फल उत्पादों का निरीक्षण यह देखने के लिए किया जाएगा कि क्या उनके मानक अधिनियम की धारा 6 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिज्ञात मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

4. निरीक्षण हेतु प्रक्रिया – (1) फल उत्पादों का निर्यात करने के उद्देश्य से निर्यातक, -

(क) अपने संस्थान के अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है जहाँ अभिप्रेत फल उत्पादों को उप-नियम (2) के तहत विनिर्दिष्ट निरीक्षण के आधार पर खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अनुसार तैयार या प्रसंस्कृत किया जाता है; या

(ख) उप-नियम (8) के तहत विनिर्दिष्ट खेप-वार निरीक्षण का पालन कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) की धारा के तहत कवर किये गये निर्यातक, फल उत्पादों का निर्यात करने को इच्छुक, को अपने संस्थान के अनुमोदन के लिए अपनी सुविधा सहित निर्यातों के लिए फल उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु एजेन्सी के नजदीकी कार्यालय को लिखित में आवेदन करेंगे।

(3) निर्यातक की यह प्राथमिक जिम्मेवारी होगी कि संस्थान जिसके लिए उप-नियम (2) के तहत आवेदन किया गया है, सुनिश्चित करता है कि निर्यात के उद्देश्य से फल उत्पाद उत्पादन, भण्डारण तथा उत्तम विनिर्माण प्रथाओं एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रथाओं के आधार पर परिवहन के सभी चरणों पर तैयार, प्रसंस्कृत और परिरक्षित रखा जाता है तथा निर्यात के उद्देश्य से खाद्य उत्पाद अधिनियम के खण्ड 6 के तहत केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गए कोई अन्य प्रतिबंधों के तहत, जैसा कि मामला हो, समय-समय पर, वाणिज्यिक, पर्यावरणीय या संरक्षण उपायों के संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश के अनुरूप है ।

(4) एजेन्सी, निरीक्षण तथा परिषद द्वारा निर्धारित प्रणाली में किये गए जाँच के आधार पर स्वयं सन्तुष्ट होने पर कि संस्थान किये गए क्रियाकलापों की प्रकृति के संदर्भ में अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, ऐसे संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करता है:

बशर्ते यदि संस्थान उनके अलावा जिसके लिए इसने अनुमोदन प्राप्त किया है कोई और क्रियाकलाप करने का निर्णय लेता है, के लिए एजेन्सी से विशिष्ट अनुमोदन इस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया जा सकेगा :

इसके अतिरिक्त यदि एजेन्सी सन्तुष्ट नहीं है, यह संस्थान को अनुमोदन देने से मना कर सकता है तथा संस्थान को निरीक्षण की तिथि से दस दिनों के भीतर उसके कारणों सहित लिखित में ऐसी अस्वीकृति संसूचित कर सकता है।

(5) एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियम के तहत अनुमोदित संस्थान, नियमित निरीक्षण के जरिये अपेक्षाओं का अनुपालन जारी रखते हैं तथा संस्थानों की निगरानी जिसके लिए एजेन्सी के पास सभी समय संस्थानों के सभी भागों एवं उत्पादन भण्डारण और परिवहन के सभी चरणों के दौरान खाद्य उत्पादों के स्वच्छ हैण्डलिंग और प्रसंस्करण के लिए संस्थान द्वारा प्रयोग किये गए नियंत्रण से संबंधित रिकार्डों पर मुक्त पहुँच है।

(6) यदि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो एजेन्सी आवश्यक कदम उठाएगी।

(7) परिषद सभी अनुमोदित संस्थापनाओं की सूची अनुरक्षित करेगी, जिसमें से प्रत्येक की एक अधिकारिक संख्या होगी।

(8) (1) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत आने वाला निर्यातक फल उत्पादों को निर्यात करने की उसकी इच्छा की सूचना खेप-वार निरीक्षण करने के लिए एजेन्सी के निकटतम कार्यालय को लिखित में देगा।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक सूचना –

(i) संस्थापना में किए जाने वाले निरीक्षण से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी यदि संस्थापना उसी स्थान पर स्थित है जहां एजेन्सी का कार्यालय स्थित है; और

(ii) संस्थापना में किए जाने वाले निरीक्षण से कम से कम 7 दिन पूर्व दी जाएगी यदि संस्थापना उस स्थान पर स्थित नहीं है जहां एजेन्सी का कार्यालय है।

(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित सूचना की प्राप्ति पर, एजेन्सी निरीक्षण और जांच हेतु नमूने लेकर निर्यात किए जाने वाले फल उत्पादों की खेप का निरीक्षण करेगी।

(4) एजेन्सी परिषद द्वारा निर्धारित पद्धति से किए गए निरीक्षण और जांच के आधार पर इस बात की संतुष्टि हो जाने पर कि फल उत्पादों की खेप निर्यात प्रयोजन हेतु स्वीकृत मानक विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है, यह घोषित करते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगी कि फल उत्पादों की खेप निर्यात योग्य है : परंतु शर्त यह है कि यदि एजेन्सी संतुष्ट नहीं है तो वह निर्यातक को प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर देगी और निरीक्षण की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर अस्वीकृति के कारणों सहित इसकी सूचना लिखित में संप्रेषित करेगी।

**5. निरीक्षण स्थान.—**(1) इन नियमों के प्रयोजन हेतु निरीक्षण निर्यातक के किसी भी परिसर और इन नियमों के अंतर्गत अनुमोदित संस्थापना पर किया जाएगा और निर्यातक यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(2) उत्पाद के नमूनों की जांच निर्यात पूर्व किसी भी समय की जा सकती है।

**6. जांच अथवा निरीक्षण नमूने की पुनर्जांच.—**(1) यदि निर्यातक अथवा संस्थापना एजेन्सी के निरीक्षण के परिणामों से संतुष्ट नहीं है, तो निर्यातक खेप की पुनः जांच व्यवस्थित करने हेतु एजेन्सी को लिखित में अनुरोध कर सकता है और इसके उपरांत एक और जांच नमूना अथवा निरीक्षण नमूना लिया जाएगा और जांच की जाएगी।

(2) उप नियम (1) के अंतर्गत विश्लेषण के परिणामों की तुलना पूर्ववर्ती नमूनों के साथ की जाएगी और खेप की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए औसत परिणाम निकाले जाएंगे।

**7. शुल्क.—**(1) जहां खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित निरीक्षण के तहत संस्थापना के अनुमोदन की मांग की जाती है-

(क) वहां नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत आवेदन के साथ एजेन्सी को पांच हजार रुपए के शुल्क का भुगतान किया जाएगा : और

(ख) एजेन्सी को फल उत्पादों की प्रत्येक खेप के लिए न्यूनतम पांच हजार रुपए और प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता के लिए प्रति वर्ष अधिकतम पंद्रह लाख रुपए के अध्यक्षीन फ्रेट ऑन बोर्ड के 0.15 प्रतिशत की दर से शुल्क देय होगा।

(2) जहां निर्यातक खेप-वार निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत निरीक्षण की मांग करता है, वहां एजेंसी को फल उत्पादों की प्रति खेप के लिए न्यूनतम पांच हजार रुपए के अध्यक्षीन फ्रेट ऑन – बोर्ड के 0.3 प्रतिशत की दर से शुल्क देय होगा।

(3) इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक खेप के लिए शुल्क की राशि को इस प्रयोजन हेतु निकटतम रुपए तक पूर्णांक किया जाएगा और जहां इस राशि में रुपए का एक अंश शामिल है, और यदि वह भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो इसे बढ़ाकर एक रुपए किया जाएगा और यदि यह अंश पचास पैसे से कम है तो इसे छोड़ दिया जाएगा।

**8. अपील.—**(1) नियम 4 के उप-नियम (4) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत संस्थापना को अनुमोदन प्रदान करने में एजेंसी द्वारा मना किए जाने, नियम 4 के उप-नियम (8) के खण्ड (4) के परंतुक के अधीन प्रमाण पत्र को जारी करने की मनाही करने, जैसा भी मामला हो, से पीड़ित कोई भी व्यक्ति उसे प्राप्त ऐसी मनाही के संप्रेषण की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त विशेषज्ञ पैनल, जिसमें तीन अथवा उससे अधिक परंतु 7 से कम व्यक्ति शामिल होंगे, को अपील कर सकता है।

(2) विशेषज्ञ पैनल की कुल सदस्यता में कम से कम दो-तिहाई सदस्य गैर-अधिकारिक होंगे।

(3) पैनल का कोरम तीन सदस्यों का होगा।

(4) अपील का निपटान प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

[फा. सं. 2/85/2015-निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2016

**S.O. 3353(E).**—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), and in supersession of the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1978, except as respect things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the following Rules, namely: -

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control and Inspection) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

**2. Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);
- (b) "agency" means the Export Inspection Agency established under sub-section (1) of section 7 of the Act;
- (c) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;
- (d) "establishment" means any premises or unit where fruit and vegetable products are prepared, processed, preserved, packaged or stored;
- (e) "fruit and vegetable products" means-
  - (i) synthetic beverages, syrups and sherbats;
  - (ii) vinegar, whether brewed or synthetic;
  - (iii) pickles;
  - (iv) dehydrated fruits and vegetables;
  - (v) squashes, crushes, cordial, barley water, barrelled juice and ready-to-serve beverage, fruit nectar or any other beverage containing fruit juices or fruit pulp;
  - (vi) jams, jellies and marmalades; .
  - (vii) tomato products, ketchup and sauce;
  - (viii) preserved, candied and crystallised fruits and peels;

- (ix) chutneys;
  - (x) canned and bottled fruits, juices and pulp;
  - (xi) canned and bottled vegetable;
  - (xii) frozen fruits and vegetables;
  - (xiii) aerated water containing fruit juice and pulp;
  - (xiv) fruits cereal, flakes; and
  - (xv) any such other items relating to fruits or vegetables.
- 3. Basis of Inspection.**—Inspection of the fruit and vegetable products shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.
- 4. Procedure for Inspection.**—(1) An exporter intending to export fruit and vegetable products may,—
- (a) apply for the approval of its establishment where the intended fruit and vegetable products are prepared or processed as per Food Safety Management System based inspection system specified under sub-rule (2); or
  - (b) follow the consignment-wise inspection specified under sub-rule (8).
- (2) The exporter covered under clause (a) of sub-rule (1), intending to export fruit and vegetable products shall apply in writing to the nearest office of the agency for approval of its establishment including their facility to process fruit and vegetable products for exports.
- (3) It shall be the primary responsibility of the exporter that the establishment for which the application under sub-rule (2) has been made, ensures that the fruit and vegetable products intended for export is prepared, processed and preserved at all stages of production, storage and transport based on good manufacturing practices and good hygiene practices and the food products intended to export conforms to the standard specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act and any other restrictions imposed by the Central Government or, as the case may be, the State Government in respect of commercial, environmental or conservation measures, from time to time;
- (4) The agency shall, on satisfying itself on the basis of inspection and such testing carried out in the manner laid down by the Council, that the establishment meets with the requirements with regard to nature of activities carried out, accord approval to such establishments:
- Provided that if the establishment decides to carry out activities other than those for which it has received approval, specific approval from the agency shall be obtained for that purpose:
- Provided further that if the agency is not satisfied, it shall refuse to grant the approval to the establishment and communicate such refusal in writing within a period of ten days from the date of inspection to the establishment along with the reasons therefor.
- (5) The agency shall ensure that the establishments approved under these rules, continue to comply with the requirements by regular inspection and monitoring of the establishments for which the agency shall at all times have free access to all parts of the establishments and records pertaining to the control exercised by the establishment for hygienic handling and processing of food products during all stages of production, storage and transport.
  - (6) The agency shall take necessary measures if the requirements cease to be met.
  - (7) The Council shall maintain the list of all approved establishments, each of which shall have an official number.
  - (8) (1) An exporter covered under clause (b) of sub-rule (1) intending to export fruit and vegetable products shall give intimation in writing to the nearest office of the agency to carry out the consignment-wise inspection.
    - (2) Every intimation under sub-rule (1) shall be given-
      - (i) not less than three days before the inspection is to be carried out at the establishment situated at the same station where the office of the agency is located; and
      - (ii) not less than seven days before the inspection is to be carried out at the establishment which is not situated at the same station where the office of the agency is located.

(3) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (1) the agency shall inspect the consignments of fruit and vegetable products meant for export by drawing samples for inspection and testing.

(4) The agency on satisfying itself that the consignment of the fruit and vegetable products conforms to the standard specifications recognised for the purpose on the basis of inspection and testing carried out in the manner laid down by the Council, shall issue the certificate declaring such consignment of the fruit and vegetable products is export worthy:

Provided that if the agency is not satisfied, it shall refuse to issue the certificate to the exporter and communicate such refusal in writing within a period of ten days from the date of inspection along with the reasons therefor.

5. **Places of Inspection.**—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at any premises of the exporter and the establishment approved under these rules and the exporter shall ensure that adequate facilities for the purpose exist therein.

(2) Checking sampling of the product may be done at any point before export.

6. **Re-examination of the test or check sample.**—(1) If the exporter or establishment is not satisfied with the results of examination by the agency, the exporter shall be entitled to request the agency in writing to arrange for re-examination of the consignment and one more test sample or check sample shall thereafter be drawn and tested.

(2) The result of analysis under sub-rule (1) shall be arranged with those of the previous samples and the average result shall be taken for determining the quality of the consignment.

7. **Fee.**—(1) In the case of approval of establishment for Food Safety Management System based Inspection, —

(i) a fee of five thousand rupees shall be paid to the Agency along with the application made under clause (a) of sub-rule (2) of rule 4; and

(ii) a fee at the rate of 0.15 percent of the freight on board value shall be payable subject to a minimum of five hundred rupees per consignment of the fruit and vegetable products to the Agency and subject to maximum of Rs. fifteenlakh per annum per exporters/processor.

(2) In the case of consignment-wise inspection a fee at the rate of 0.3 percentage of the freight on board value shall be payable subject to a minimum of five hundred rupees per consignment of fruit and vegetable products to the Agency.

(3) The amount of fee for each consignment under these rules shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee, then, if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and, if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. **Appeal.**—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to grant an approval to establishment under second proviso to sub-rule (4) of rule 4 or, as the case may be, the issue of certificate under proviso to clause (4) of sub-rule (8) of rule 4 may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him or her prefer an appeal to a panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two thirds of the total membership of the panel of experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

[F. No. 2/85/2015-Exp. Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.